न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 26/2023
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/31

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एंबिट फिनवेस्ट प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय एंबिड हाउस, 449 सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई – 400013 एवं शाखा कार्यालय आफिस नं. 909, नवी मंजील, ओके प्लस टॉवर, अजमेर रोड, कल्याण ज्वेलर्स के पास, गोर्वमेंट हॉस्टल क्रोसिंग, जयपुर 302020 (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री करण सिंह राठौड पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी वार्ड नं. 2 नाहरपुरा, मुख्य सड़क तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा (ऋणी) अन्य पता– खसरा नं. 308 नाहरपुरा तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा 327031।
2. श्रीमती पुष्पेन्द्र कॅवर पत्नी श्री करण सिंह राठौड, निवासी वार्ड नं. 2 नाहरपुरा, मुख्य सड़क, तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा 327031 (सहऋणी)
3. श्री लक्कीराज सिंह राठौड पुत्र श्री करण सिंह राठौड, निवासी वार्ड नं. 2 नाहरपुरा, मुख्य सड़क, तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा 327031 (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 14–06–2023

एंबिट फिनवेस्ट प्रा.लि. की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1. श्री करण सिंह राठौड पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी वार्ड नं. 2 नाहरपुरा, मुख्य सड़क तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा (ऋणी) 2. श्रीमती पुष्पेन्द्र कॅवर पत्नी श्री करण सिंह राठौड, निवासी वार्ड नं. 2 नाहरपुरा, मुख्य सड़क, तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा 327031 (सहऋणी), 3. श्री लक्कीराज सिंह राठौड पुत्र श्री करण सिंह राठौड, निवासी वार्ड नं. 2 नाहरपुरा, मुख्य सडक, तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा 327031 (सहऋणी) को दिनांक 06–04–2021 को 29,92,035 (उन्तीस लाख बानवे हजार पैतीस रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 31–10–2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के [illegible] 19–08–2022 तक कुल बकाया राशि मय ब्याज 3090050.74 रू. (तीस लाख नब्बे [illegible] पचास रुपया [illegible] पैसा) एवं तत्पश्चात [illegible] व खर्चे आदि [illegible] राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। [illegible] गणो ने ऋण राशि व [illegible] ब्याज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग एवं पार्सल – आवासीय घर पर स्थित खसरा नंबर 308, ग्राम नाहरपुरा, ग्राम पंचायत नाहरपुरा, तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा, जिसके पूर्व में सडक, पश्चिम में सुरेन्द्रपाल सिंह की भूमि, उत्तर में लोकेन्द्र सिंह का प्लॉट और घर एवं दक्षिण में नरेन्द्रपाल सिंह का घर स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिग पर्यवेक्षण विभाग मुंबई क्षैत्रिय कार्यालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. एन–13.01927 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ क के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निश्चित शर्तो पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर बैंकिग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/ करते रहने के लिये प्रमाण पत्र जारी किया है। जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 19–08–2022 को ऋणी/अप्रार्थीगणो को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया गया। दिनांक 02.09.2022 को उक्त नोटिस का प्रकाशन दो स्थानिय अखबारो (हिन्दी, अंग्रेजी) में करवाया गया। जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही कराई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 16–02–2023 को जारी किये। दिनांक 02.03.2023 को अप्रार्थी सं.1 व 3 उपस्थित हुए। दिनांक 31.03.2023 को अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से श्री रवि पुरी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता को न्यायहित में पेशी दिनांक 19.04.2023, 11.05.2023 को समय दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 01.06.2023 एवं आज दिनांक 14.06.2023 को अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अप्रार्थी सं.1 से 3 का जवाब बंद किया जाता है। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो को सायं [illegible] गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 3 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई [illegible] सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 06–04–2021 को 29,92,035 (उन्तीस लाख बानवे हजार पैंतीस रुपया) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 31–10–2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 19–08–2022 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गए, जो कि अप्रार्थीगणो को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये तथा दो समाचार पत्रो (हिन्दी, अंग्रेजी) में भी उक्त नोटिस प्रकाशित किये गये है। अप्रार्थीगणो को न्यायहित में भी पर्याप्त समय दिया जा चुका है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आनन्दपुरी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **एंबिट फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक **14–06–2023** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner